सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

पत्रांक प०नि० 4914 / 21

दिनांक 26.08.2021

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में निरंतर छात्र संख्या में आ रही कमी के दृष्टिगत प्रवेश समिति/विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 16.12.2020 में विश्वविद्यालय की शास्त्री एवं आचार्य की कक्षाओं में प्रवेश अर्हता सम्बन्धी निदर्शिका भाग–4 खण्ड–3 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अर्हता परीक्षा के मुख्य विषय संस्कृत में प्राप्तांको की सीमा(Ceilling) की बाध्यता को समाप्त करते हुए मुख्य विषय में मात्र उत्तीर्णांक होने पर शास्त्री/आचार्य में यथा निर्दिष्ट विषयों में प्रवेश हेतु अर्हता मान्य करने की संस्तुति को कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28.07.2021 में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर व्यापक विचार–विमर्श के अनन्तर परिषद् ने वर्तमान समय में वैश्विक विषयगत विस्तार एवं अन्य प्रकार से संस्कृत के व्यापक प्रसार के दृष्टिगत छात्रहित में उक्त प्रस्ताव को मान्य करते हुए अर्हता परीक्षा में मुख्य विषय संस्कृत के प्राप्तांको की सीमा (Ceilling) को समाप्त कर मात्र उत्तीणांक होना मान्य किया जाय का आदेश दिया है।

उपर्युक्त के आलोक में समस्त सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्यो को सूचित किया जाता है कि सत्र 2021–22 में शास्त्री (I) सेमेस्टर व आचार्य प्रथम सेमेस्टर का प्रवेश कार्यपरिषद के उक्त निर्णयानुसार लिया जाय।

26-8-21
परीक्षा नियत्रंक
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी
26/08/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सचिव कुलपति, कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
3. समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय।
4. सहायक, कुलसचिव,(प०)/प्रशासन/समस्त अधीक्षक, (प०)।
5. संगणक केन्द्र को उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. प्रभारी, आवेदनपत्र/समस्त पटल सहायक आवेदनपत्र।
7. जनसम्पर्क कार्यालय।
8. सम्बद्ध पत्रावली।

26-8-21
परीक्षा नियत्रंक
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी
26/8/21

Scanned by TapScanner